न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 08/2018 ::

अपीलांटगण :—

श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी शेराराम
जाति सरगरा (पुत्री स्व. कनिया)
निवासी सोनाई मोजी, हाल
निवासी गांधी नगर, पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :—

1. राज. राज्य द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) पाली (राज.)
2. मिश्रीलाल पुत्र स्व. कनिया जाति सरगरा, निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली (राज.)
3. ढलकी पत्नी गिरधारी जाति बावरी निवासी पुनायता तहसील व जिला पाली (राज.)
4. अनाराम पुत्र जसाराम जाति मोची, निवासी सेदरिया तहसील व जिला पाली (राज.),
5. कानाराम पुत्र वीरमजी जाति मेघवाल, निवासी सेदरिया, तहसील व जिला पाली (राज.)
6. लालाराम पुत्र दरगाजी जाति मेघवाल निवासी गुन्दोज, तहसील व जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश सिंघानिया

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री झुंझाराम परमार

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 30/8/19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम गुन्दोज II के नामान्तरकरण संख्या 339 दिनांक 07.09.1991 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 सुनी गई। शेष रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम गुन्दोज चक II तहसील पाली जिला पाली स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1482, 1925, 2040, 2042, 1945 व 2041 कसिया पुत्र धूला सरगरा के नाम स्थित थी। कसिया की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि जरिए फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 339 के कनिया, रामा पुत्रगण कसिया तथा केसी बेवा कसिया के नाम खातेदारी दर्ज की गई। कनिया की मृत्यु क पश्चात जो उत्तराधिकार का नामान्तरकरण तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया, जो विधी विरूद्ध किया गया है। अपीलाण्ट कनिया की जाईन्दा पुत्री होने के बावजूद भी उसका नामान्तरकरण में नाम इन्द्राज बतौर वारिस दर्ज नहीं कर मिश्रीलाल पुत्र कनिया एवं भाणी बेवा कनिया के नाम इन्द्राज कर नामान्तरकरण संख्या 339 दिनांक 07.09.1991 स्वीकृत कर दिया, अपीलाण्ट शान्ति उसकी पुत्री होने के बावजूद भी उसका नाम इन्द्राज नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण विधी विरूद्ध है। अपीलाण्ट को उसके हक हकूकों से वंचित करने वाला होने से इसे निरस्त फरमाया जावें। अपीलाण्ट कनिया पुत्र कसिया की जायन्दा पुत्री होने के बावजूद भी उसका नाम इन्द्राज नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि कनिया के उत्तराधिकारीयों (वारिसदार) कौन–कौन है, इसकी जांच नहीं की गई। इस कारण अपीलाण्ट का नाम उसके पिता की खातेदारी भूमि में बतौर वारिसान इन्द्राज नहीं हुआ, जिसे खारिज फरमाया जावे। जैर अपील नामान्तरकरण पहले उसके भाई मिश्रीलाल व उसकी माता भाणीदेवी के नाम इन्द्राज हुआ, जो विधी सम्मत नहीं होने से, इस प्रकार के नामान्तरकरण Ab Initio void होने से जिन्हें खारिज किया जाकर अपीलाण्ट का नाम भी बतौर वारिसान इन्द्राज किया जाना न्यायोचित होने से अपील अपीलांट स्वीकृत फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे।।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अपीलाण्ट का सगा भाई है। पूर्व में अपीलाण्ट की सहमती से वही काश्त करता था एवं अपीलाण्ट को उपज का हिस्सा/मुकाता दे देता था। पिछले 2 वर्ष 6 माह से उसने अपीलाण्ट के हिस्से की उपज का हिस्सा/मुकाता नहीं दिया है तथा मांगने पर बहाने बनाये एवं प्रार्थियां को उपज का हिस्सा नहीं देने तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त करने पर दिनांक 15.12.2011 को उसने भाई को जोर देकर कहा, तो उसके भाई ने उसके स्वयं के नाम की भूमि होने बाबत कथन किया, तो वह दिनांक 20.12.2011 को हल्का पटवारी से मिली एंव नकलें ली, तो स्थिति स्पष्ट हो गई तथा उसके राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की, जो दिनांक 28.12.2011 को प्राप्त होने पर

जिला कलेक्टर, पाली

20.01.2012 को न्यायालय में अपील पेश कर दी, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार करावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद के बिन्दु पर न्यायिक दृष्टान्त RRT 2007(1) एवं 2009(2) RRT 1280 पेश किया तथा RRD 1994 page 115 RRT 2002(1) प्रभावित पक्षकार के बिना सुने किए गए नामान्तरकरण पारित आदेशों की अपील को म्याद का बिन्दु प्रभावित नहीं करता, इस संबंध में पेश किए गए।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील म्याद बाहर है एवं नामान्तरकरण 1991 में स्वीकृत हुआ, जिसकी अपील 2012 में की गई, जो 20 वर्ष बाद की गई है, जिसे म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें। इसके पक्ष में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त D.B. Civil/SP Apeal 981 of 2012 in C.W. petition N. 2597 of 2004 निर्णय दिनांक 15.12.1992 की प्रति पेश की अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2013(11) DNJ Raj. 141, 2014(3) DNJ Raj 1129, 2011 DNJ (s.c.) 310, 2011 DNJ(cc) 95, 2012(2)DNJ Raj. 781 आदि म्याद के बिन्दु बाबत पेश किए तथा सिविल अपील संख्या 7217 of 2013 की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत करते हुए बताया कि पुत्रियां अपने पिता की सम्पती में शादी के बाद अधिकार नही रखती है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली एंव नामान्तरकरण संख्या 339 स्वीकृत दिनांक 07.09.2019 का एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील अनुसार अपीलाण्ट को बिना सुने नामान्तरकरण उसके भाई एवं माता के नाम स्वीकृत कर उसका नाम इन्द्राज नहीं किया इस प्रकार अपीलाण्ट को उसके पिता की खातेदारी भूमि के हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट के हक हकूक से वंचित हो जाने का प्रश्न होने से म्याद का बिन्दु इसकी सुनवाई में बाधा नहीं है। इसलिए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रूप से इस अपील के सन्दर्भ में चस्पा हुवे है।

अपीलाण्ट स्व. कनिया की जायन्दा पुत्री है तथा वह अपने पिता की खातेदारी भूमि में अपने भाई एवं अपनी माता के समान ही बराबर का अधिकार रखती है। उसको बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना सुने जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कनिया की मृत्युपर्यन्त जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कनिया के विधिक वारिसान की जांच भी नहीं की गई है एवं उसकी सगी पुत्री अपीलाण्ट शान्ति है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम

जिला कलेक्टर, पाली

श्रेणी की वारिस होने के बावजूद, उसे अपने पिता की खातेदारी भूमि में उसके हक हकूकों से वंचित कर दिया। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय के निर्णय का न्यायिक दृष्टान्त सिविल अपील संख्या 7217/2013 इस पर चस्पा नहीं होता है।

अपीलाण्ट को बिना सुने तथा स्व. काना के वारिसान की बिना जांच किए हुए, विधिक वारिसान का जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत कर अपीलाण्ट को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से शुन्य (Ab Initio void) होने से इसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4, 5 व 6 को पक्षकार किस वजह से बनाया गया है। इस संबंध में अपील पत्र में कहीं जिक्र नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अपील में कुछ तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त रेस्पोडेण्ट भूमि के क्रेता हो सकते है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 339 दिनांक 07.09.2019 ग्राम गुन्दोज चक I तहसील पाली जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया है। उसे निरस्त किया जाकर तहसीलदार पाली को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. कनिया पुत्र कसिया के विधिक वारिसान की जांच कर उनको तथा वर्तमान खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृति की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण तहसीलदार पाली को भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली